PROF. SONIYA NITYANAND
MD, Ph.D.
VICE CHANCELLOR
प्रो० सोनिया नित्यानंद
एम०डी०, पी०एच०डी०
कुलपति

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
U.P. LUCKNOW
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०
लखनऊ

Ref. No.: KGMU/VC/229/2023 **Date: December 18, 2023**

CIRCULAR

In partial modification to the previous circular no. KGMU/VC/51/2023, dated May 18, 2023, a Committee comprising of the following members is hereby re-constituted for **Redressal of Grievances of Students** in KGMU as per the Notification of University Grants Commission New Delhi, dated 11th April, 2023.

1. **Prof. R.K. Dixit** Department of Pharmacology	-	**Chairperson**
2. **Prof. Nand Lal** Head, Department of Periodontology	-	**Member**
3. **Prof. Vimla Venkatesh** Department of Microbiology	-	**Member**
4. **Prof. Chhitiz Srivastava** Chief Proctor	-	**Member**
5. **Prof. Reema Kumari** Department of Community Medicine	-	**Member**
6. Student representative to be nominated on academic merit/excellence in sports/ performance in co-curricular activities	-	**Special Invitee**

Dr. Vineet **Sharma**, Professor (re-appointment), Department of Orthopaedic Surgery, KGMU, Lucknow is appointed as **Ombudsperson** for **Redressal of Grievances of Students** of the University and Colleges/Institutions affiliated with the university under these regulations.

S. Nityanand
(Prof. Soniya Nityanand)
Vice Chancellor

Distribution:

1. Above Concerned Members
2. Dr. Vineet Sharma, Professor (re-appointment), Department of Orthopaedic Surgery, KGMU, Lucknow.
3. Registrar, KGMU, Lucknow.
4. Finance Officer, KGMU, Lucknow.
5. Circular Book.

01 Shahmina Road, Chowk, Lucknow, U.P., India - 226003
Ph: +91-522-2258880; Web: kgmu.org
E-mail: vc@kgmcindia.edu, Twitter: @kgmulucknow
Facebook: kgmuupdate

कार्यवृत्त दिनांक–19 / 07 / 2023

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–372 / प्रा0 / 2023 दिनांक–15 / 07 / 2023 के तहत प्रोवोस्ट न्यू सी0वी0 छात्रावास के पत्र संख्या–39 / एन.सी.वी. / 23 दिनांक–12 / 07 / 2023 में अंकित प्रकरण की विस्तृत जॉच हेतु 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

उपर्युक्त के कम में समिति सदस्यो द्वारा दिनांक–19 / 07 / 2023 को चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. डा0 नन्द लाल — अध्यक्ष
2. डा0 जगदीश नरायन — सदस्य
3. डा0 अंजनी पाठक — सदस्य
4. डा0 गनेश यादव — सदस्य

समिति द्वारा एम.बी.बी.एस. 2022 बैच से मौखिक व लिखित बयान लिया गया, श्री को बुलाया गया था परन्तु वह समिति के समक्ष उपस्थित नही हुए। ने पूर्व में चीफ प्राक्टर के0जी0एम0यू0 को अपने मौखिक बयान में बताया कि मैने के कमरे में लडकियो का नाम लिखकर विडियो सिर्फ मजाक के लिए बनया था और उसको हवाटसप ग्रुप पर भेजने के तुरन्त बाद डीलिट कर दिया एवं बेड पर बैठने के दौरान के ऊपर मेरा पैर चला गया था, मेरा को परेशान करने का कोई इरादा नही था। उपरोक्त से यह स्पष्ट हुआ कि द्वारा एम0बी0बी0एस0 2022 बैच के साथ अभद्र व्यवहार किया गया जिसके कुछ साक्ष्य शौमिल जैन के कमरे से प्राप्त भी हुए है।

अतएव कमेटी सर्वसम्मति से श्री के कमरे का आवंटन आदेश निर्गत तिथि से 15 दिन के लिए निरस्त करने व कठोर चेतावनी पत्र जारी कर उसकी सूचना अविभावक को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजने की संस्तुति करती है।

डा0 नन्द लाल अध्यक्ष	डा0 जगदीश नरायन सदस्य	डा0 अंजनी पाठक सदस्य	डा0 गनेश यादव सदस्य

[redacted]

To

Chairman
(Enquiry Committee),

Respected Sir,

I . . . . of Batch 2022, want to inform you that . . . . (My Batchmate) came to my room and wrote name of girls on my wall and posted the video on the group. After multiple warning to leave my room, he still did not agree, i went downstair to call the guard and when i came back he kicked me and also snatched my phone. Earlier also he had troubled me. I kindly request you to look into this matter

Thank you

Your Sincerely,
(Batch 2022)

Phone Number →

22

कार्यवृत्त दिनांक /08/2023

प्रवेक्षक सरदार पटेल छात्रावास, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, के कार्यालय पत्र संख्या–1940/एस0पी0एच0/2023 दिनांक–26/08/2023 के द्वारा प्रेषित की गयी शिकायत जो एम0बी0बी0एस0 2021 बैच के छात्रो से सम्बन्धित है की विस्तृत जॉच हेतु चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–457/प्रा0/2023 दिनांक–28/08/2023 के द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बैठक दिनांक–28/08/2023 को अपरान्ह 04:00 बजे आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1.	डा0 आर0ए0एस0 कुशवाहा	अध्यक्ष
2.	डा0 जितेन्द्र कुशवाहा	सदस्य
3.	डा0 आर0के0 दीवान	सदस्य
4.	डा0 अंजनी पाठक	सदस्य
5.	डा0 गनेश यादव	सदस्य

समिति सदस्यों द्वारा एम0बी0बी0एस0 2020 एवं 2021 बैच के प्रकरण में सम्बन्धित लोगो से विस्तृत पूछ–ताक्ष की गयी एवं लिखित बयान लिया गया छात्रो द्वारा दिये गये बयानो एवं सक्ष्यों से यह ज्ञात हुआ कि एवं एम0बी0बी0एस0 2021 बैच दोनो ही भूतल पर स्थित मेस के बाहर एक दूसरे से गाली गालौज एवं मार–पीट की गयी, उसी दौरान द्वारा को कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गये, एवं ने उक्त प्रकरण को सम्बन्धित अधिकारियों को नही अवगत कराया बल्कि अपने सहपाठी से समनवय स्थापित कर कक्ष संख्या–249 में जाकर से पुनः गाली गलौज करते हुए मार–पीट की गयी। उस समय घटना स्थल पर के 5 सहपाठी मूकदर्शक बने देखते रहें उनके द्वारा बीच–बचाव का प्रयास नही किया गया।

उपरोक्त समस्त से यह स्पष्ट हुआ कि छात्रो द्वारा की गयी घटना अशोभनीय है एवं सहपाठियों के बीच इस तरह का गाली गलौज एवं मार–पीट की घटना सहने योग्य नही है। इसलिए कमेटी सदस्यो ने सम्पूर्ण सक्ष्यों एवं बयानो के अवलोकनोपरान्त विभिन्न निर्णय लिए गये जो निम्नवत है:–

1. एम0बी0बी0एस0 2021 बैच अपने सहपाठी कुमार के साथ सरदार पटेल छात्रावास में मेस के पास हुए झगडा समाप्त होने के उपरान्त अपने सहपाठियों (शुक्ला एवं शुक्ला) के साथ पुनः ग्रुप बनाकर से मार–पीट की गयी इसलिए कमेटी सदस्यों ने , शुक्ला एवं शुक्ला को शैक्षणिक सत्र एवं छात्रावास से आदेश निर्गत तिथि से 01 माह तक के लिए निलम्बित करने की संस्तुति करती है।
2. कुमार, गोयल, वर्मा एवं मिश्रा एम0बी0बी0एस0 2021 बैच को छात्रावास में गाली गलौज एवं उग्र व्यवहार के लिए कठोर चेतावनी पत्र जारी किये जाने की संस्तुति करती है।
3. घटना में सलिप्त समस्त छात्रों के अभिभावक को उपरोक्त कृत्य की लिखित जानकारी रजिस्टर्ड पोस्ट एवं दूरभाष के माध्यम से प्रेषित किया जायें।
4. सम्बन्धित छात्र जिनका छात्रावास एवं शैक्षणिक सत्र अग्रिम आदेशो तक के लिए निरस्त किया गया है उनसे बहाली के समय इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति न किये जाने का नोटराईज्ड शपथ पत्र लिया जाये।

डा0 आर0ए0एस0 कुशवाहा
अध्यक्ष

डा0 अंजनी कुमार पाठक
सदस्य

डा0 जितेन्द्र कुशवाहा
सदस्य

डा0 आर0के0 दीवान
सदस्य

डा0 गनेश यादव
सदस्य

डा0 क्षितिज श्रीवास्तव
विशेष आमंत्रित सदस्य

डा0 आनन्द श्रीवास्तव
विशेष आमंत्रित सदस्य

(3)

PROVOST
S.P. Hostel
KGMU, LUCKNOW

Sub: Complaint of Physical assault

Respected sir,

with all due respect I wish to Inform you that Myself KUMAR of MBBS – 2021 Batch.

I want to draw your attention about the incident last night. I was attacked by multiple/group of my batchmates & They attacked me by Rods, Sharp objects & Sticks inside S.P Hostel.

(throwing Steel bottles)

- Shukla
- Mishra
- ~~[illegible]~~
- Shukla (Stabbed me with Sharp objects) [Pen]
- goel
- Verma
-

Visual Proof:-

[signatures]

- Kumar Singh
- pratap
- kumar jha
- Rai
- Singh Chan

Your's obedient
KUMAR
MBBS – 21

26/8/2023
11:00 PM

Asso. Provost
S.P. Hostel
K.G's Medical University
LUCKNOW

①

To
The Chief Procter
KGMU
Lucknow

Subject : complaint against Kumar, MBBS, 2021

27th August

Respected Sir,

This is to inform you that I, Ojha, MBBS 2021 Batch have been visiting SP Hostel's mess for dinner. After finishing dinner, while I was reviewing mess food (as asked), one of my batchmates and my former roommate in CV Hostel (1st year), Kumar came up to me for a debt (of 1697 rupees) to be paid back to which I told him that I'll return the money later since I didn't have money at the time due to month end. The discussion escalated and turned into an argument then he started to verbally abuse and said me to 'send my mother' if I cannot repay the money to which I pushed him back and he began to physically assault me and continuously slapped me.

Below mentioned people were present during this incidence

Yours obediently

MBBS 2021.

कार्यवृत्त दिनांक 02/11/2023

प्रो0 विवेक अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, मानसिक विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–1702/साई दिनांक–18/10/2023 जो अधिष्ठाता शैक्षणिक को सम्बोधित है जिसको अधिष्ठाता शैक्षणिक ने चीफ प्राक्टर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उर्पयुक्त के कम में चीफ प्राक्टर के पत्र संख्या–608/प्रा0/2023 दिनांक–27/10/2023 के तहत डा0 सुजाता देव, एडिशनल प्राक्टर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बैठक का गठन किया गया है जिसकी बैठक दिनांक 02/11/2023 को अपरान्ह 02:00 बजे से चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी, जिसमे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. **प्रो0 सुजाता देव,** एडिशनल प्राक्टर– अध्यक्ष
2. **प्रो0 रश्मि कुशवाहा,** सहायक प्राक्टर– सदस्य
3. **प्रो0 आदर्श त्रिपाठी,** विभागाध्यक्ष मानसिक विभाग– सदस्य
4. **प्रो0 वंदना गुप्ता,** मानसिक विभाग– सदस्य
5. **प्रो0 गनेश यादव,** सहायक प्राक्टर– सदस्य

समिति सदस्यो ने दोनों पक्षों से बयान मौखिक एवं लिखित बयान लिया, जिसमें तिवारी ने अपनी गलती स्वीकार किया और बताया कि आवेश में आकर से वाद–विवाद हुआ भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न किये जाने का आश्वासन दिया गया।

ने बताया कि तिवारी आवेश में आकर मुझसे वाद–विवाद किया जिसके लिए वह शर्मिन्दा है एवं क्षमा चाहते है इस लिए मै इनको क्षमा करती हू और मै चाहती हू कि इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाये।

रेजीडेन्ट चिकित्सको के लिखित एवं मौखिक बयान को दृष्टिगत रखते हुए कमेटी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जो निम्नवत है:–

1. तिवारी, जूनियर रेजीडेन्ट मानसिक विभाग को विभागाध्यक्ष के माध्यम से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न किये जाने की कठोर चेतावनी पत्र निर्गत किया जाये।
2. यदि तिवारी द्वारा भविष्य में इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो कमेटी इनके विरूद्व उच्चतम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करेंगी।
3. तिवारी के अभिभावक को कार्य आदेश के निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर चीफ प्राक्टर कार्यालय उपस्थित हो, जिससे समस्त प्रकरण से उनको अवगत कराया जा सकें।

(डा0 सुजाता देव)
अध्यक्ष

(डा0 रश्मि कुशवाहा)
सदस्य

(डा0 बंदना गुप्ता)
सदस्य

(डा0 गनेश यादव)
सदस्य

(डा0 आदर्श त्रिपाठी)
सदस्य

To

The Head/Chairman
Disciplinary Committee
KGMU, Lucknow

Respected Sir/Ma'am,

I Pandey Junior Resident Dept of Psychiatry, KGMU, want to state that I have cooperated and told about the incidence took place on 13/9/202, which include altercation between me and Dr Tiwari which had a form of heated argument and in due to some push and shove I fell down and got slightly injured.

Kindly warn him not to do such aggressive beh

Yours Sincerely
Pandey, JR 2
Dept of Psychiatry

Mob

[redacted]

कार्यवृत्त दिनांक 30/08/2023

डा0 रश्मि पी जॉन, कार्यवाहक प्रधानाचार्य कालेज आफ नर्सिंग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–1217/X/137 दिनांक–22/08/2023 के द्वारा प्रेषित की गयी शिकायत जो चतुर्थ सेमेस्टर के नर्सिंग छात्रो द्वारा आपस में किये गये अभद्रता एवं अपशब्दो से सम्बन्धित है की विस्तृत जॉच हेतु चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–468/प्रा0/2023 दिनांक–29/08/2023 के द्वारा डा0 एस0एन0 सिंह की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक–30/08/2023 को प्रातः 11:00 बजे आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1.	डा0 एस0एन0 सिंह	अध्यक्ष
2.	डा0 राकेश कुमार दीवान	सदस्य
3.	डा0 कमलेश्वर सिंह	सदस्य
4.	डा0 सूचना राय भौमिक	सदस्य
5.	श्री जी. श्रीनिवासन	सदस्य

जॉच समिति के समक्ष घटना में संलिप्त छात्र कुमार, मिश्रा एवं मिश्रा उपस्थित हुए किसी कारणवश कुमार समिति के समक्ष उपस्थित नही हुए।

समिति सदस्यो द्वारा उपस्थित छात्रों से गहन पूछ–ताक्ष की गयी एवं उनके पास प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्य भी लिए गये एवं लिखित बयान लिया गया। चूंकि अनुपस्थित था इसलिए समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगली बैठक दिनांक–08/09/2023 को पूर्वान्ह 12:00 बजे आहूत की जायेगी जिसमें रोहित अपने पिता जी के साथ उपस्थित होगें।

डा0 एस0एन0 सिंह **अध्यक्ष**	डा0 आर0के0 दीवान सदस्य	डा0 सूचना राय भौमिक सदस्य	श्री जी. श्रीनिवासन सदस्य

कार्यवृत्त दिनांक 08/09/2023

कार्यवृत्त/बैठक दिनांक–30/08/2023 के क्रम में दिनांक–08/09/2023 को पूर्वान्ह 12:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष, पी.एच.आई. भवन में पुनः डा0 एस0एन0 सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1.	डा0 एस0एन0 सिंह	अध्यक्ष
2.	डा0 राकेश कुमार दीवान	सदस्य
3.	डा0 कमलेश्वर सिंह	सदस्य
4.	डा0 सूचना राय भौमिक	सदस्य
5.	श्री जी. श्रीनिवासन	सदस्य

समिति सदस्यो द्वारा समस्त छात्रो से गहन पूछ–ताछ की गयी एवं लिखित बयान लिया गया, बयानोपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयें।

(1) आडियो क्लीप से स्पष्ट हुआ कि कुमार, अपने सहपाठी एवं गुरूजनो के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो चिकित्सा विश्वविद्यालय नियम एवं अनुशासन के विरूद्ध है।

(2) कुमार, मिश्रा एवं मिश्रा ने के साथ फार्मोकोलोजी विभाग में अभद्रता की गयी, जिसके कारण भी उग्र होकर आपस में धक्का मुक्की किया।

(3) कुमार, के बात व्यवहार से प्रतीत हुआ कि वह अपने सहपाठियो के साथ उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु अभद्रता करता है।

संस्तुतिः–

उपरोक्त समस्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कुमार को 01 माह एवं अन्य तीनो छात्रो को 15 दिन तक के लिए छात्रावास में आवंटित कक्ष निरस्त करते हुए कठोर चेतावनी पत्र जारी किया जायें कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

डा0 एस0एन0 सिंह **अध्यक्ष**	डा0 आर0के0 दीवान सदस्य	डा0 सूचना राय भौमिक सदस्य	श्री जी. श्रीनिवासन सदस्य

कार्यवृत्त दिनांक 30/08/2023

डा0 रश्मि पी जॉन, कार्यवाहक प्रधानाचार्य कालेज आफ नर्सिंग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–1217/X/137 दिनांक–22/08/2023 के द्वारा प्रेषित की गयी शिकायत जो चतुर्थ सेमेस्टर के नर्सिंग छात्रो द्वारा आपस में किये गये अभद्रता एवं अपशब्दो से सम्बन्धित है की विस्तृत जॉच हेतु चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–468/प्रा0/2023 दिनांक–29/08/2023 के द्वारा डा0 एस0एन0 सिंह की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक–30/08/2023 को प्रातः 11:00 बजे आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1.	डा0 एस0एन0 सिंह	अध्यक्ष
2.	डा0 राकेश कुमार दीवान	सदस्य
3.	डा0 कमलेश्वर सिंह	सदस्य
4.	डा0 सूचना राय भौमिक	सदस्य
5.	श्री जी. श्रीनिवासन	सदस्य

जॉच समिति के समक्ष घटना में संलिप्त छात्र कुमार, मिश्रा एवं मिश्रा उपस्थित हुए किसी कारणवश कुमार समिति के समक्ष उपस्थित नही हुए।

समिति सदस्यो द्वारा उपस्थित छात्रों से गहन पूछ–ताक्ष की गयी एवं उनके पास प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्य भी लिए गये एवं लिखित बयान लिया गया। चूंकि कुमार अनुपस्थित था इसलिए समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगली बैठक दिनांक–08/09/2023 को पूर्वान्ह 12:00 बजे आहूत की जायेगी जिसमें रोहित अपने पिता जी के साथ उपस्थित होगें।

डा0 एस0एन0 सिंह **अध्यक्ष**	डा0 आर0के0 दीवान सदस्य	डा0 सूचना राय भौमिक सदस्य	श्री जी. श्रीनिवासन सदस्य

King George's Medica rsity

Uttar Pradesh, Lucknow-22

KGMU College of Nursi

Dr. Rashmi P. John

PhD, MSN, RN,RM

Acting Principal

No.: 1217/X-137

Date: 22/08/23

सेवा में,

आवश्यक

चीफ प्राक्टर,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अध्ययनरत बी0एस0सी0 नर्सिंग चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों (कुमार,   कुमार,   मिश्रा एवं   मिश्रा) द्वारा आपस में की अभद्रता एवं अपशब्दों का प्रयोग करने के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी से शिकायत की गई (छायाप्रति संलग्न)। उपरोक्त छात्रों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की डिस्पिलिन कमेटी द्वारा दिनांक 22.08.2023 को प्रातः 10.00 बजे एक बैठक आहुत की गई (छायाप्रति संलग्न), जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

अतः आपसे निवेदन करना है कि उपरोक्त प्रकरण पर आप अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(signature) 22/08/23.

(डॉ0 रश्मि पी0 जॉन)
कार्यवाहक प्रधानाचार्या

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिष्ठाता, नर्सिंग संकाय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
2. मा0 कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Committee
- Dr S.N. Singh - Chairman
- Smt. Suchitra Roy Bhowmick
- Mr. G. Srinivasan
- Dr Rakesh Deewan
- Dr Kamleshwar

Reply letter

कार्यवृत्त . .   .04.2024

मा0 कुलपति जी के कार्यालय पत्र संख्या– केजीएमयू/वी.सी./229/2023 दिनांक 18/12/2023 के द्वारा परिपत्र (Circular) जारी कर Redressal of Grievances of Students (छात्रो की शिकायतो का निवारण) हेतु प्रो0 विनीत शर्मा, लोकपाल की देख–रेख में एवं प्रो0 आर0के0 दीक्षित की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक दिनांक 14.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे चीफ प्राक्टर कार्यलय में आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	प्रो0 विनीत शर्मा	लोकपाल
2.	प्रो0 आर.के. दीक्षित	अध्यक्ष
3.	डा0 क्षितिज श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 नन्द लाल	सदस्य
5.	प्रो0 विमला वैंकटेश	सदस्य
6.	प्रो0 रीमा कुमारी	सदस्य

समिति सदस्यो द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों/रेजीडेन्ट चिकित्सको के शिकायतो के निवारण, उनके कल्याण हेतु कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी, और निम्नवत निर्णय लिया गया:–

1. चिकित्सा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों/रेजीडेन्ट चिकित्सको के कल्याण हेतु ग्रिव्यांस सेल का क्या नियम होगा इसके लिए एस.ओ.पी. तैयार करने का निर्णय लिया गया।
2. एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/नर्सिंग/पैरामेडिकल छात्रों के Induction Ceremony के समय ग्रिव्यांस सेल से सम्बन्धित एक व्याख्यान भी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

14/5/24.   14-05-2024   for 14-05-2024

डा0 रीमा कुमारी
सदस्य

डा0 विमला वैंकटेश
सदस्य

डा0 नन्दलाल
सदस्य

डा0 क्षितिज श्रीवास्तव
सदस्य

14/05/2024

डा0 आर0के0 दीक्षित
अध्यक्ष

14/05/24

डा0 विनीत शर्मा
लोकपाल

King George's Medical University, U.P., Lucknow

website-: www.kgmcindia.edu Email- proctor@kgmcindia.edu

Prof. R.K. Dixit
Chairperson, Grievances Cell

Ref. No. /GC/2024
Date- 13/05/2024

अति–आवश्यक बैठक

प्रो0 सोनिया नित्यानन्द, मा0 कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, के कार्यालय पत्र संख्या–केजीएमयू/वी.सी./229/2023 दिनांक 18/12/2023 के द्वारा परिपत्र (Circular) जारी कर Redressal of Grievances of Students (छात्रो की शिकायतो का निवारण) हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

समिति सदस्यों द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में अध्ययनरत छात्रों एवं चिकित्संको के शिकायत के निवारण, उनके कल्याण हेतु कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति सदस्यो की बैठक **दिनांक–14/05/2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे** चीफ प्राक्टर कक्ष में आहूत की जायेगी जिसमें समस्त सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है।

13/05/2024

(प्रो0 आर.के. दीक्षित)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ
2. एक प्रति उपरोक्त सदस्यों को।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(प्रो0 आर.के. दीक्षित)
अध्यक्ष

12

कार्यवृत्त दिनांक 22/05/2024

कार्यवृत्त दिनांक 16.05.2024 के कम में चीफ प्राक्टर के कार्यालय पत्र संख्या–276/प्रा/2024 दिनांक 21/05/2024 के द्वारा दिनांक 22.05.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे पुनः डा0 रीमा कुमारी, एडिशनल प्रॉक्टर की अध्यक्षता में चीफ प्राक्टर के कक्ष में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रो0 रीमा कुमारी, एडिशनल प्राक्टर – अध्यक्ष
2. प्रो0 विश्वजीत सिंह, एम0एस0 शताब्दी चिकित्सालय, – सदस्य
3. प्रो0 एस0एन0 सिंह, कार्यवाहक, चीफ प्राक्टर, विशेष आमंत्रित सदस्य – सदस्य
4. प्रो0 विनय कुमार गुप्ता, सहायक प्राक्टर – सदस्य

डा0 शिउली एवं डा0 करन कौशिक किसी कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

दिनांक 16.05.2024 में आहूत हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 11.05.2024 को घटित उक्त घटना के स्थल की सीसीटीवी फुटेज हेतु पत्र प्रेषित कर सीसीटीवी फुटेज मंगाया जाय, उसके उपरान्त निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्त समिति सदस्यों द्वारा कुमार एवं जूनियर रेजीडेन्ट, अस्थि शल्य विभाग के पूर्व लिखित बयान अवलोकन किया गया जिसमें उन्होने अंकित किया है कि सुरक्षा कर्मी द्वारा गाली दी गयी एवं सर्वप्रथम हाथ उठाया गया, दिनांक 11.05.2024 को हुई घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज देखा गया जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

क) घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज मे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सर्वप्रथम रेजीडेन्ट चिकित्सकों द्वारा सुरक्षा कर्मी पर हाथ उठाया गया। रेजीडेन्ट चिकित्सकों द्वारा सुरक्षा गार्ड पर सर्वप्रथम हाथ उठाये जाने वाला लगाया गया आरोप असत्य है।

ख) समिति द्वारा रेजीडेन्ट चिकित्सको को पूर्व का बयान दिखाया गया। तदोपरान्त घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज दिया गया और पूछा गया कि "उन्होनें अपने पूर्व बयान में लिखा है कि सुरक्षा गार्ड ने सर्वप्रथम हाथ उठाया था, किन्तु सीसीटीवी में स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा गार्ड पर सर्वप्रथम हाथ उठाया गया है, इस पर कुमार एवं शर्मा ने बताया कि सुरक्षा गार्ड द्वारा उन्हें मॉ की गाली दी इसलिए उसने सर्वप्रथम गार्ड पर हाथ उठाया था।

ग) कुमार एवं शर्मा द्वारा समिति के समक्ष ऊँची आवाज में बात करते हुए सुरक्षा गार्ड के प्रति दोषसिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था।

घ) घटना स्थल की सम्पूर्ण सीसीटीवी फुटेज देखने से स्पष्ट हुआ कि रेजीडेन्ट चिकित्सक सुरक्षा गार्ड को मारते हुए शताब्दी चिकित्सालय द्वारा फेज–1 तक ले जाया गया, तदोपरान्त विभागाध्यक्ष, अस्थि शल्य विभाग ने घटना स्थल पर पहुँच कर दोनों पक्षों को डाँटने के बाद समझा दिया, किन्तु रेजीडेन्ट चिकित्सकों द्वारा समझाने के उपरान्त भी सुरक्षा गार्ड को मारने के लिए खोजा जा रहा था एवं तत्कालीन समय पर तैनात गार्डो को मारने की धमकी भी दी गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कुमार एवं शर्मा अपने बयानों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और समिति के समक्ष गलत बयान दिया गया। यदि गार्ड द्वारा कोई गलती किया गया था तो उसकी लिखित शिकायत करते, उसको मारना–पीटना अत्यन्त निन्दनीय है, उक्त कृत्य हेतु रेजीडेन्ट चिकित्सको के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करती है:–

1. कुमार एवं शर्मा, जूनियर रेजीडेन्ट, अस्थि शल्य विभाग को 01 माह हेतु निलम्बित करने की संस्तुति करती है।
2. कुमार एवं शर्मा, को आवंटित छात्रावास का कक्ष तत्काल प्रभाव से 01 माह तक के लिए निरस्त किये जाने की संस्तुति करती है।
3. कुमार एवं शर्मा के उक्त कृत्य की सूचना स्पीड पोस्ट/दूरभाष के माध्यम से इनके अविभावक को दिये जाने की संस्तुति करती है।
4. कुमार एवं शर्मा द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो इनके विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करती है।
5. सुरक्षा कर्मी को चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय कि भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित होती है तो अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें।

Financial Punishment & warning may be given to both residents
05/06/24

(प्रो0 विनय कुमार गुप्ता)	(प्रो0 विश्वजीत सिंह)	(प्रो0 एस.एन. सिंह)	(प्रो0 रीमा कुमारी)
सदस्य	सदस्य	विशेष आमंत्रित सदस्य	अध्यक्ष
सहायक प्राक्टर	एम0एस0 शताब्दी	चीफ प्राक्टर	एडिशनल प्राक्टर

2

दिनांक - 11/05 /2024

सेवा में ,
चीफ प्रॉक्टर महोदय ,
के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ

महोदय ,

आपको अवगत करना है कि दिनांक - 11/05 /2024 को सुबह लगभग 11 बजे जे0आर0 -01 का विद्यार्थी शताब्दी फेस -02 के सामने रोड पर नो-पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल को खड़ा कर रहे थे। पार्किंग में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने उन्हें गाड़ी खड़ा करने से सम्मान पूर्वक रोकने लगा, फिर भी नहीं माने और बाईक खड़ी करके जाने लगे। श्रीमान जैसा की आपका आदेश है यदि कोई व्यक्ति गलत पार्किंग करता है तो उसके गाड़ी में लॉक (जैमर) लगाकर के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ के कोष में जुर्माना जमा करवाया जाये। सुरक्षाकर्मी आपके उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए गाड़ी में लॉक (जैमर) लगा दिया। जिस पर जे0 आर0 -01 का विद्यार्थी सुरक्षाकर्मी से बहस करने लगे। सुरक्षाकर्मी ने उक्त घटना की सुचना तुरंत HOD सर और बाबू को दिया। बाबू के कहने पर जब लॉक खोलने के लिए सुरक्षाकर्मी पंहुचा तो डॉक्टर ने सुरक्षकर्मी को गाली देते हुए मारने लगे। सुरक्षाकर्मी ने जब विरोध किया तो तीन - चार लोग मिलकर मारने लगे। सुरक्षाकर्मी अपने आत्म रक्षा मे हाथ-पाव चलाने लगा, जिसके कारण डॉक्टर को सुरक्षाकर्मी का नाखून लग गया था। डॉक्टर ने तुरंत फोन करके 10 -15 विद्यार्थियो को बुला लिया और शताब्दी में पोस्ट पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को गाली देने लगे तथा मारपीट करने लगे। HOD सर तथा अन्य उच्चाधिकारियों के समझाने पर किसी तरह मामला शांत हुआ।

महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कृपया मामले की जांच करे तथा मार्गदर्शन करते हुये उचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

Serious matter
culprit to be punished
committee to investigate &
give report
PTO.

धन्यवाद

26, 2nd, Chandralok Near Kapoorthala Aliganj Branch, Lucknow-226020
LIMITED

एस0आई0एस0 लिमिटेड
26, चंद्रलोक, नियर कपूरथला ,
अलीगंज, महानगर, लखनऊ

प्रतिलिपि :

01 . प्रो0 सुरेंद्र कुमार (फैकल्टी इंचार्ज, एच0 आर0) के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ
02 . प्रो0 नवीन सिंह, असिस्टेंट फैकल्टी ह्यूमन रिसोर्सेज (कंटेक्टुअल), रेडियाथैरेपी विभाग, के0 जी0 एम0 यू 0, लखनऊ
03 . मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बन्ध चिकित्सालय, के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ
04 . कुलसचिव महोदया , के0 जी0 एम0 यू 0, लखनऊ
05 . मा0 कुलपति महोदया के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदया के अवलोकनार्थ।

- Dr Reema Kumari - Chairman
- Dr Karan Kaushik - CO faculty pankaj
- Dr Shivali
- Dr Vinay Gupta
- Dr Vishwajeet - Ms Shatabdi.

[signature]

कार्यवृत्त दिनांक 03/06/2024

, एम0बी0बी0एस0 2021 बैच सरदार पटेल छात्रावास में अध्यासित छात्र ने दिनांक 29.05.2024 को चीफ प्राक्टर कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एम0बी0बी0एस0 2018 बैच के छा.त्रों के खिलाफ मार–पीट गाली गलौज एवं रैगिंग का आरोप लगाया गया, जिसकी विस्तृत जॉच हेतु चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–290/प्रा0/2024 दिनांक 31.05.2024 के डा0 के0के0 गुप्ता, सहायक प्रावोस्ट, सरदार पटेल छात्रावास की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति सदस्यों द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच हेतु दिनांक 03.06.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. डा0 के0के0 गुप्ता, सहायक प्रोवोस्ट, सरदार पटेल छात्रावास
2. डा0 गनेश यादव, सहायक प्राक्टर,
3. डा0 मो0 कलीम अहमद, सहायक प्राक्टर,
4. डा0 मयंक सिंह, सहायक प्राक्टर,

डा0 आनन्द श्रीवास्तव, सहायक प्रोवोस्ट, सरदार पटेल छात्रावास किसी कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

उपरोक्त समिति सदस्यों द्वारा दोनो पक्षो से पूछ–ताक्ष की गयी एवं लिखित बयान लिया गया जिसमे उन्होंने निम्नवत बयान दिया:–

क) ने समिति के समक्ष स्वीकार किया कि हम लोगो की आपस में नोक–झोक हुई थी किन्तु मै प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही नही चाहता हू मै अपना शिकायत स्वेक्षा से वापस लेता हुँ। इसके अतिरक्त यह भी आस्वस्त किया कि मेरे साथ कोई रैगिंग नही हुई है।

ख) एम0बी0बी0एस0 2018 बैच के तीनो छात्रों ने लिखित आस्वस्थ किया कि हम लोगो द्वारा भविष्य में किसी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नही की जायेगी।

उपरोक्त दोनो के बयानो से यह स्पष्ट होता है कि दोनो पक्ष में आपसी मतभेद के कारण नोक–झोक हुई किन्तु वह आपस में सुलह कर लिए और कमेटी के समक्ष लिखित पत्र प्रेषित कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही नही चाहते है। लेकिन छात्रो को उक्त कृत्य हेतु निम्नवत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करती है:–

1. दोनो कठोर चेतावनी पत्र जारी किया जाये कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरवृत्ति होती है तो इनके विरूद्ध क़ठोर कार्यवाही करते हुए चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित की जाय।

(प्रो0 मयंक सिंह) सदस्य सहायक प्राक्टर	(प्रो0 मो कलीम अहमद) सदस्य सहायक प्राक्टर	(प्रो0 गनेश यादव) सदस्य सहायक प्राक्टर	(प्रो0 के.के. गुप्ता) अध्यक्ष स. प्रोवोस्ट एस.पी. हास्टल

LIC.

To,
the Proctor
KGMU, Lucknow

Date → 29/05/24

Subject - Ragging followed by Physical Assault by group of seniors

Respected Sir,

I _ _ _ _ of MBBS Batch 2021 living in room no. 53 of SP Hostel.

While returning to hostel about 1:30 pm, Aman Aryan a senior of mine from 18 batch passed by me with his bike. I was humming while passing by, he mistook it for shouting in his ear.

When I retaliated, he put his one hand over my shoulder & started pushing me towards the hostel. He was completely full of rage & deliberately abusing.

When I ~~was~~ started abusing he started asking about where is your room. I will do this to you & this that.

__/__/____

Then I dropped one of my friend to hostel. While returning he again shake his bike while seeing me.

I again told him that you are very senior to me. If I am responsib then I am really sorry.

I returned to hostel & after then he called a senior asked where is his room in hostel.

Deliberately within 2-3 minute 15-20 peoples came abusing & first he punched my back then started slapping me.

After then started abusing my sister. When I started abussi back, they all started beating me.

Others were -
Prince Roy

Rest of the people, were undefi

Yours obidiently

MBBS 2021 Batch

Committe to investigate
- Dr S. Jitendra Kushi chairman
- Dr Ganesh Yadav
Kaleem
Dr ... nyant

कार्यवृत्त दिनांक 01.04.2024

, श्री एवं श्री , डी0एम0एल0टी0 प्रथम वर्ष ने दिनांक 20.03.2024 के द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मो0 पुत्र श्री अहमद, के खिलाफ जातिसूचक/असंवैधनिक शब्दो का प्रयोग करने की शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी विस्तृत जॉच प्रो0 विनीत शर्मा, लोकपाल की देख–रेख में, अध्यक्ष, Grievance Cell की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	प्रो0 विनीत शर्मा	लोकपाल
2.	प्रो0 आर.के. दीक्षित	अध्यक्ष
3.	प्रो0 नन्द लाल	सदस्य
4.	प्रो0 विमला वैंकटेश	सदस्य
5.	प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 रीमा कुमारी	सदस्य

समिति सदस्यो द्वारा सर्वप्रथप मो0 का लिखित व मौखिक बयान लिया गया, जिसमें उसने अपनी गलती समिति के समक्ष स्वीकार किया, समिति के समक्ष शिकायतकर्ता छात्र सूचित करने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुए, शिकायतकर्ता छात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में थे किन्तु बार–बार कार्यालय कर्मचारी के कहने एवं चीफ प्राक्टर द्वारा फोन पर समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी नही आये, और कार्यालय कर्मचारी से बताया कि हम लोगो का आपस में समझौता हो गया है हम अग्रिम कार्यवाही नही चाहते है। किन्तु समिति के समक्ष उपस्थित न होना अनुशासनहीनता का घोर उल्लघन है।

दिनांक 20.03.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 22.03.2024 को दोनो पक्षो द्वारा आपस में समझौत/सुलह कर लिया गया, (छायाप्रति संलग्न) जिसकी कोई भी सूचना ग्रिव्यांस सेल/प्राक्टर कार्यालय में नही दी गयी, जो चिकित्सा विश्वविद्यालय नियम के विरूद्व है।

अतएव उल्लिखित कथनो का अवलोकन करने के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया है:–

1. मो0 पुत्र श्री अहमद को इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न किये जाने की कठोर चेतावनी पत्र अधिष्ठाता पैरामेडिकल संकाय के द्वारा निर्गत किये जाने की संस्तुति एवं भविष्य में इनके द्वारा उक्त घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो इनको चिकित्सा विश्वविद्यालय से निष्काषित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की संस्तुति करती है।
2. शिकायतकर्ता , एवं , डी0एम0एल0टी0 प्रथम वर्ष के छात्रो को समिति के समक्ष उपस्थित न होने का कारण बताओ नोटिस और इनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अधिष्ठाता पैरामेडिकल संकाय द्वारा किये जाने की संस्तुति की जाती है।
3. चुकि दोनो पक्ष आपस में समझौता/सुलह कर लिया है इसलिए प्रकरण को समाप्त किये जाने की भी संस्तुति करती है।

डा0 रीमा कुमारी सदस्य	डा0 विमला वैंकटेश सदस्य	डा0 नन्दलाल सदस्य	डा0 क्षितिज श्रीवास्तव सदस्य

डा0 आर0के0 दीक्षित अध्यक्ष	डा0 विनीत शर्मा लोकपाल

संख्या 173 /प्रा0/2024 तद्दिनांक– 10-4-24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अधिष्ठाता पैरामेडिकल संकाय केजीएमयू लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संलग्न कार्यवृत्त पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

12/4/20

Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

सेवा में,

दिनांक–20.03.2024

1.कुलानुशासक, के0जी0एम0यू0 लखनऊ,

2.लाईजन आफिसर, एस0सी0/एस0टी0, के0जी0एम0यू0 लखनऊ,

3.अधिष्ठाता, पैरामेडिकल, के0जी0एम0यू0 लखनऊ,

4.विभागाध्यक्ष, पैथालोजी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ,

विषय– जातिसूचक/असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि डी0एम0एल0टी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत **प्रथम वर्षीय (सत्र 2022–2023) छात्र मो0** पुत्र अहमद द्वारा एक सार्वजनिक वाट्सएप ग्रुप Group discussion LT2022 पर बिना वजह हम तीनों छात्रों– तथा आदर्श को जाति सूचक शब्दों/असंवैधानिक शब्दों एवं गंदी–गंदी गालियों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया है, जिसको एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति ही बोल सकता है। इसको वाट्सएप ग्रुप पर सभी छात्र/छात्राओं द्वारा देखा गया है। इस कृत्य से सभी छात्रों में रोष व्याप्त है और हम तीनों अनुसूचित जाति के छात्र तो बहुत ही अपमानित महसूस कर रहें हैं तथा हम सभी छात्र अत्यधिक तनाव के कारण पढ़ाई में भी ठीक से मन नहीं लगा पा रहें हैं।

अतः आप से निवेदन है कि मो0 पुत्र अहमद, डी0एम0एल0टी0 प्रथम वर्षीय छात्र के उक्त कृत्य का संज्ञान लेते हुए इसपर कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे डी0एम0एल0टी0 पाठ्यक्रम बैच में अनुशासन बना रहे तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पाये।

धन्यवाद,

संलग्नक– वाट्सएप ग्रुप Group discussion LT2022 पर वार्ता की छायाप्रति।

प्रार्थीगण,

छात्र,
डी0एम0एल0टी0 प्रथम वर्ष बैच(**सत्र 2022–2023)**
के0जी0एम0यू0 लखनऊ।

Grievance cell

कार्यवृत्त दिनांक 25/06/2024

प्रोवोस्ट, न्यू यू0जी0 गर्ल्स छात्रावास–1 मे निवसित छात्रा सुश्री वर्निका मलिक, एम0बी0बी0एस0 2023 बैच, ने प्रोवोस्ट, न्यू यू0जी0 गर्ल्स छात्रावास–1 के0जी0एम0यू., को पत्र प्रेषित कर पत्र में अंकित प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही का अनुरोध किया गया है, उक्त पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रोवोस्ट द्वारा चीफ प्राक्टर को अग्रसारित किया गया है।

उक्त के कम में चीफ प्राक्टर द्वारा अपने कार्यालय पत्र 352/प्रा0/2024 दिनांक 24.06.2024 के तहत 5 सदस्यीय समिति का गठन कर प्रकरण की विस्तृत जॉच किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया, तद्क्रम में समिति सदस्यों द्वारा दिनांक 25.06.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

- डा0 रश्मि कुशवाहा, सहायक प्राक्टर –अध्यक्ष
- डा0 गरिमा सहगल, सहायक प्राक्टर –सदस्य
- डा0 सुरूचि शुक्ला, स0 अधिष्ठाता छात्र कल्याण –सदस्य
- डा0 शिउली, सहायक प्राक्टर –सदस्य

डा0 दिप्ती शास्त्री किन्ही कारणवस बैठक में प्रतिभाग नही कर सकी।

समिति सदस्यों ने कक्ष संख्या– 106 न्यू0 यू0जी0 गर्ल्स हास्टल में निवसित छात्रा वर्निका, पूजल एवं अयोनिजा से पूछ–ताछ किया और लिखित बयान लिया गया, जो निम्नवत है:–

1. ने बताया कि मै कूलर के सामने बैठकर कान में हेड़ फोन लगाया था इसी लिए कमरा खोलने में देर हुई, मैने दरवाजे के ऊपर कैमरा देखा तो घबरागई और दरवाजा खोला तो अपने दोस्त के साथ इस घटना को अंजाम दे रही थी जो अत्यन्त निन्दनीय है, इसके लिए मेरी व से नोक–झोक हुई।
2. ने बताया कि मेरी रूम मेंट , कमरा अन्दर से बन्द किया था मेरे द्वारा लगभग 10 मिनट खटखटाने के उपरान्त भी कमरा नही खोला गया, मुझे संन्देह हुआ इसलिए मैने अपनी सहेली अयोनिजा को दरवाजे के ऊपर लगे रोशनदान से कैमरे की मदद से देखने के लिए बोला। ने दरवाजा खोला तो मुझसे ऊची आवाज में बात करते हुए अभद्र शब्दो का प्रयोग करने लगी और लडाई–झगडा पर आमदा हो गयी।
3. अयोनिजा द्वारा कैमरे से देखने का प्रयास किया गया अथवा विडियों बनाया गया उसका मोबाईल फोन की जॉच की गयी किन्तु कोई विडियो फुटेज अथवा साक्ष्य नही मिला।

उसी तल पर निवसित अन्य छात्राओं से भी समिति ने पूछताछ की और लिखित बयान लिया जो निम्नवत है।

4. समिति के समक्ष उपिस्थित छात्रओं ने बताया कि अक्सर दरवाजा बहुत देर से खट–खटाती है, तब दरवाजा खोलती है, ऐसा कई बार हो चुका है और आपस में नोक–झोक भी होता है।

उपरोक्त बयानो से स्पष्ट होता है कि द्वारा गेट को खोलने में देर होने के कारण को के प्रति गलत संदेह हुआ, इसलिए आयोनिजा को रोशनदान से कैमरे की मदद से देखने हेतु कहा गया। अतः समिति सर्वसम्मति से निम्नवत संस्तुति करती है:–

क) न्यू यू0जी0 छात्रावास मे जो छात्राएं कमरे में सिंगल निवास कर रही है उनके कक्षो में एवं को स्थानातरित करने की संस्तुति की जाती है।

ख) व को उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति भविष्य में न किये जाने के आशय का कठोर चेतावनी पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

ग) को रूम का दरवाजा देरी से खोलने एवं सहपाठी के साथ अनुचित व्यवहार के लिए कठोर चेतावनी पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति करती है।

(डा0 शिउली)
सहायक प्राक्टर
सदस्य

(डा0 सुरूचि शुक्ला)
सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सदस्य

(डा0 गरिमा सहगल)
सहायक प्राक्टर
सदस्य

27/6/24
(डा0 रश्मि कुशवाहा)
सहायक प्राक्टर
अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

chief Proctor
MU Lucknow

Subject - highlighting incidents where people tried to humiliate defame me and violated my right to privacy.

Respected Sir,
I, student of MBBS-2023 Batch (Room no.-106) would like to bring to your notice incidents that happened on 22nd June, 14th June and in the month of April this year.

1. violation of my right to privacy - This happened on 22nd June, 2024. I was in my room when I heard knocks on the door. Then it took me hardly 2-3 mins to open the door since I was changing inside my room suddenly that very moment I saw someone's phone Camera over my door's window.
on opening the door, I found out poojal along with her friend Ayonija standing outside. poojal is my roommate ~~and~~ she stepped in whereever tried to run away from the spot and had phone in her Hand.
So, when I Confronted both of them asking what they were trying to do with phone's Camera. They instead of accepting and apologizing to me, defended themselves by saying "हम बस check कर रहे थे कि सो रही है क्या ?! और हमने Leak तो नहीं की"
I was so emotionally hurt and was confused about what just happened to me, I walked out from there in anger and didn't see that video for proof.

Scanned with OKEN Scanner

They could have called me but ... /01/2024 को गयी।
They could have shouted if there was delay. But
did nothing like this.
Whatever was their intention but what they did is unapologetic and inappropriate.
Next day when my mother talked to her, she herself said that she already has deleted that video.

2) Also another day i.e on 14th June 2024, another incident happened which I would like to share.
My floormate and one of their friends Mihira Karn posted on our unofficial girls group that was so dumb and just to defame me. Text was- "Vaenika Malik please take care how you leave washroom after use So kindly clean it asap" to which I politely replied "I'm sorry, I forgot my bucket with clothes inside -- my bad -- I've removed it now." It was very clear that it was a dumb act but still I avoided.
Her 'this' text was supported by and her friend Mahak also. They all did this just to make me anxious and defame me in front of my whole batch on purpose.

3) One more incident took place ~~at~~ in the month of April, 2024. I won the title of 'Miss fresher-2023' and that day posted on her social handle that it was a "planned victory" and after knowing this was wrong she removed it some hours later but she did that on purpose.

Scanned with OKEN Scanner

Now what they did to me on 22nd June, just
ays before my terminal exams is a shameful Act.
y video/Photo captured without their Consent is an offensive act and A case Can be filed under section 66E also.
The video can be retrieved anytime and Can be leaked.

This has Continued for a long time. I really don't want any interference in my life anymore from their side. I hope they realise their mistakes and work upon them.

Kindly look into this matter and take the Needful Action.

Thanking You,

yours sincerely

(MBBS- 2023)

(
7.
8.